

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।
पत्रांक:भ- 1 / सीएफओ / जीबीएन-10(तृतीय) 14 दिनांक:जनवरी 2 2010.
सेवा में,

प्रभारी, (भवन प्रकोष्ठ)

नौएडा सेक्टर-6

जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-001, सेक्टर-117 (यूनिवर्सल गार्डन) नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेन्ट भवन निर्माण हेतु मानचित्रों की अनुज्ञा के सम्बन्ध में अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध में मानचित्रों का परीक्षण एवं प्रश्नोत्तरी का अध्ययन अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया तो प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का विवरण निम्नवत है:-

1- मानचित्रों में भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानकों के अनुरूप दर्शाई गई है जिस पर अग्निशमन वाहन सुगमता पूर्वक आ जा सकते हैं।

2- भवन के निर्माण हेतु फेज तृतीय में कुल-22225.00 वर्ग मी का प्लॉट है जिसमें से 2882.00 वर्ग मी0 पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है भवन में दो बेसमेन्ट के अतिरिक्त भूतल से 13वें तल तक 06 आवासीय ब्लॉक का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है तथा भवन की ऊँचाई 41.90 मीटर है।

3- प्रत्येक बेसमेन्ट का कवर्ड एरिया-2882.00 वर्ग मी0 कुल कवर्ड एरिया-5773.52 वर्ग मी0 है।

5- स्टेयर केस एवं लिफ्ट

भवन के प्रत्येक ब्लॉक में नीचे के तलों से उपरी तलों तक के लिए प्रत्येक ब्लॉक में दो स्टेयर केस का प्राविधान किया जाये जो तथा किसी भी आपात स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग न किया जाये।

6- सैटबेक

मानचित्रों में भवन के चारों तरफ अंकित सैटबेक को छोड़ा जाना अनिवार्य होगा तथा इस सम्बन्ध में नौएडा आथर्टी के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक है जिसमें से 06 मीटर मोटरेबुल सैटबेक हार्ड सरफेस युक्त होना अनिवार्य होगा जिसे सदैव अवरोध रहित रखा जाये भवन के सैटबेक में किसी भी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण न कराया जाये।

7- जीव रक्षा के सुझाव

1. भवन के बेसमेन्ट में स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान किया जाये कि किसी भी अग्नि दुर्घटना के दौरान 30 एयर चेन्ज व साधारण स्थिति में 12 चेन्ज होना आवश्यक है।
3. भवन में रिफ्यूज एरिया के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-4.12.1 से 4.12.3 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।
4. यदि भवन के किसी भाग को सेन्ट्रली एयर कण्डीशन बनाया जाता है तो एयर कण्डीशन के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.14 से 1.15 तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

5 भवन में ट्रांसफार्मर की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-सी 1.16 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाय।

6 भवन की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया 2005 के पार्ट-4 के क्लॉज-1.12ए से एच तक दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

एन0बी0सी0 पार्ट-4,2005 के मानकों के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था के सुझाव:-

1- प्रश्नोत्तरी में प्रस्तावित भवन हेतु अग्निशमन कार्यों के लिए 1,00,000 लीटर पानी की क्षमता का टैंक, 5,000 लीटर पानी की क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। जबकि टेरिस टैंक 20,000 ली० का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा दोनों टैंकों को जोड़ते हुए वेटराइजर कम डाउनकामर का प्राविधान किया जाय इसके साथ ही प्रत्येक तल पर आवश्यकतानुसार होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज कैबिनेट स्थापित किये जायें एवं प्रत्येक होज कैबिनेट में दो दो अदद आर० आर० एल० होज पाइप 15-15 मीटर व स्प्रे ब्रान्च पाइप रखे जायें।

2- वेटराइजर कम डाउनकामर को सदैव पानी से प्रेशर युक्त बनाये रखने के लिए भूमिगत टैंक के पास 2280 एलपीएम का एक अदद विद्युत चालित फायर पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प, 180 एलपीएम का विद्युत चालित जौकी फायर पम्प स्थापित किये जायें। वेटराइजर कम डाउनकामर के नीचे व उपर की तरफ एन०आर०वी० व उपर की तरफ एयर रिलीज वाल्व तथा भूतल पर फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान किया जाये।

3- भवन के प्रत्येक बेसमेन्ट में ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान किया जाये।

5- भवन के चारों ओर रिंग मेन डालकर उस पर यार्ड हाईड्रेण्ट्स का प्राविधान किया जाये।

6- भवन के प्रत्येक तल पर मेनुवल आपरेटिड ईलेक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान किया जाये।

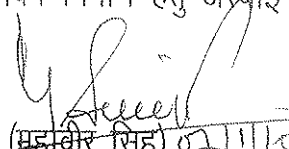
7- भवन के प्रत्येक तल पर पी०ए० सिस्टम का प्राविधान किया जायें ताकि आपातस्थिति में भवन के अन्दर कार्यरत लोगों को अवगत कराकर बाहर निकाला जा सके।

8- भवन के अन्दर फायर कंट्रोल रूम की स्थापना के लिए एन०बी०सी०-2005 के क्लॉज सी-5 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

9- भवन में स्थापित करायी जानी वाली सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली व्यवसायिक रूप से प्रशिक्षित एवं दक्ष व्यक्ति की देखरेख में कराई जाये तथा स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन के लिए व्यवसायिक रूप से दक्ष अग्निशमन अधिकारी व स्टाफ के लिए नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ-2005 पार्ट-4 के क्लॉज सी-6 में दिये गये निर्देशों का पालन किया जाये।

अतः मै० यूनियटेक लि० द्वारा प्लॉट न०-001, सेक्टर-117 (यूनिवर्सल गार्डन) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित रेजीडेन्शियल अपार्टमेंट भवन के निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आख्या इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008, तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई

अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा ।


(महवीर सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

✓ प्रतिलिपि: मै0 यूनिटेक लि0 द्वारा प्लॉट न0-001, सेक्टर-117 (यूनिवर्ल्ड गार्डन) नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।